**न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–ब्यावर) राज.**

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 314/2019 (186/2018)
GCMS NO. : 2018/00074

| –:: वादी ::– | बनाम | –:: प्रतिवादीगण ::– |
|---|---|---|
| 1. महीपाल पुत्र मोतीलाल जाति जाट निवासी गांव सरमालिया तहसील ब्यावर जिला ब्यावर। | | 1. हेमा पुत्र दूदा के कायम मुकाम<br>1/1. शंकरलाल पुत्र हेमा<br>1/2. मुन्नालाल पुत्र हेमा<br>1/3. गंगादेवी पुत्री हेमा<br>1/4. शायरी देवी पत्नी हेमा<br>जाति जाट निवासी गांव बलाड़ा तहसील जैतारण जिला ब्यावर।<br>2. राजस्थान सरकार जरिये भू–धारक तहसीलदार, जैतारण जिला ब्यावर।<br>3. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक जैतारण जिला ब्यावर। |

**राजस्व वाद बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

**तारीख रजू: 25/09/2019**

उपस्थितः–
1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादी।

**–:: निर्णय ::–** **दिनाँकः– 31/01/2024**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि निम्न वर्णित कृषि भूमि बमुजब जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 वाकै गांव बलाडा, तहसील जैतारण जिला पाली में खाता संख्या 926 खसरा नम्बर 681/1472 रकबा 26–11 बीघा, खसरा नम्बर 682/1 रकबा 19–00 बीघा किस्म सेवज दोयम आई हुई है। वादग्रस्त आराजियात के सह–हिस्सेदार व खातेदार काश्तकार वादी व प्रतिवाद संख्या 1 चले आ रहे है व संयुक्त रूप से काबिज काश्त है। वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/2 वां हिस्सा चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजीयात अविभाजित है व अभी तक वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य सीमांकन द्वारा विभाजन नहीं हुआ है व न ही विभाजन का प्रलेख राजस्व अभिलेखों में किया गया है। वादग्रस्त आराजीयात में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त रूप से अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है, किन्तु वादग्रस्त आराजीयात के हिस्सो को लेकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य विवाद होता रहता है अतएव वादी अपने हिस्से की आराजीयात का विभाजन

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

सीमाकंन द्वारा करवाकर अलग करना चाहता है जिससे की वह अपने हिस्से में आई आराजी की अपनी मनमर्जी अनुसार तरक्कियात कर सके। वादी ने प्रतिवादीगण से दिनांक 25-5-2018 को निवेदन किया कि वे तहसील जैतारण में चल कर आपसी सहमती से विभाजन करवाले, किन्तु वे तैयार नहीं हुऐ व स्पष्ट इन्कार हो गये एवं ऐलानिया धमकी दी की वे अन्य व्यक्ति को वादग्रस्त आराजी अन्तरित करके रहेगें व विभाजन नहीं करवायेगा। तब वादी ने अपने अधिवक्ता श्री ज्ञानचन्दजी गादिया के मार्फत रजिस्टर्ड डाक नोटिस दिनांक 2-6-2018 प्रतिवादी संख्या 01 को प्रेषित कर सूचित किया कि वादी वादग्रस्त आराजीयात सामलात में नहीं रखना चाहता है व आपसी सहमती से तहसीलदार साहब जैतारण के समक्ष चल कर विभाजन करवा लेवे किन्तु प्रतिवादी संख्या 01 ने विभाजन न करवाकर लिखित में जवाब नोटिस प्रेषित कर विभाजन करवाने से ही इन्कार कर दिया जिसका जवाबबुल जवाब भिजवा दिया। अतः मौजुदा वाद की आवश्यकता उत्पन्न हुई। प्रतिवादी संख्या 1 उक्त अविभाजित आराजी को अन्य स्ट्रेन्जर व्यक्ति को बेचान कर कब्जा सम्भलाना चाहते है अतः वादी के पक्ष में व प्रतिवादी संख्या 01 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर उसे पाबन्द किया जाय कि प्रतिवादी संख्या 01 स्वंय उसके परिवारजन, रिश्तेदार, मुख्तार आदि कोई भी वादी के 1/2 हिस्से की आराजी में वादी द्वारा कराये जा रहे काश्त में बाधा उत्पन्न न करे व न ही वादी को जबरन बेदखल करके उसके कब्जे काश्त व हिस्से की आराजी में जबरन काश्त करे व जब तक वादग्रस्त आराजी का सीमांकन द्वारा विभाजन न हो जाए तब तक वादास्त आराजी अथवा उसके किसी भी हक-हिस्से को अन्तरण न करें व न ही करावे व न ही किसी अन्य स्ट्रेन्जर व्यक्ति को कब्जा में लाये व प्रतिवादी संख्या 2 को पाबन्द किया जाय कि जब तक विभाजन न हो जाये तब तक किसी भी अन्य व्यक्ति के नाम नामान्तरकरण न करें व प्रतिवादी संख्या 3 को पाबन्द किया जाए कि यदि प्रतिवादी संख्या 1 अथवा उसका मुख्तार अथवा कोई भी व्यक्ति वादग्रस्त आराजी बाबत् कोई अन्तरण का दस्तावेज पेश करे तो उसका पंजीयन न करें। अलग से आवेदन पत्र धारा 80(2) सी.पी.सी. पेश किया जाकर आवश्यक अनुमति वाद दायर करने की प्राप्त की जा रही है। प्रस्तुत वाद का वाद कारण माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अर्न्तगत बमुकाम गांव बलाडा तहसील जैतारण जहाँ कि वादग्रस्त आराजीयात विद्यमान है उत्पन्न हुई एवं दिनांक 25-5-2018 को सर्व प्रथम उत्पन्न हुई। अतः वादी ने निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी का विभाजन किया जाकर अलग से खाता खोला जाए व नक्शे में भी तरमीम किया जाए एवं जब तक वादग्रस्त आराजीयात का विभाजन सीमांकन द्वारा न हो जाए तब तक वादग्रस्त आराजी अथवा उसके किसी भी हक हिस्से को प्रतिवादी संख्या 1 को अन्तरित करने व स्ट्रेन्जर व्यक्ति को कब्जा सम्भालने का अधिकारी नहीं होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एवं वादी के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाए।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
न्यायालय कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकील ने नो इन्सट्रक्शन प्लीड किया एवं प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 बावजूद सम्मन सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील वादी ने वाद के समर्थन में साक्ष्य के शपथ पत्र P/W 01 पेश किया, दस्तावेजात् प्रदर्श करवाये गये, जो शा0मि0 है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र, शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात इत्यादि का गहनता से अध्ययन किया गया। जमाबंदी सरहद मौजा–बलाडा, पटवार हल्का–बलाडा, भू–अभिलेख निरीक्षक–बलाडा, तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर में खसरा नम्बर 681/1472 रकबा 4.2978 हैक्टेयर किस्म सेवज दोयम, खसरा नम्बर 682/1 रकबा 3.0756 हैक्टेयर किस्म सेवज दोयम सम्वत् 2073–2076 का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, जिसमें माफिक राजस्व रेकर्ड अनुसार प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा–बलाडा, पटवार हल्का–बलाडा, भू–अभिलेख निरीक्षक–बलाडा, तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर में खसरा नम्बर 681/1472 रकबा 4.2978 हैक्टेयर किस्म सेवज दोयम, खसरा नम्बर 682/1 रकबा 3.0756 हैक्टेयर किस्म सेवज दोयम की भूमि आई हुई है। जिसका वादी के हक–हिस्सों का माफिक राजस्व रिकार्ड भूमि का बंटवाड़ा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग–अलग दर्शाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2022/89 दिनांक 05/04/2022 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/22/5790 दिनांक 12/09/2022 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, शा0मि0 की गई।

अंतिम बहस वकील वादी की सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने वादग्रस्त आराजी का माफिक प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा करने हेतु सहमति जाहिर करते हुए आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकील वादी एवं पालना रिपोर्ट पर गौर कर मनन किया गया। भू–अभिलेख के खसरा नम्बर 681/1472 रकबा 4.2978 हैक्टेयर किस्म सेवज दोयम, खसरा नम्बर 682/1 रकबा 3.0756 हैक्टेयर किस्म सेवज दोयम का माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

**-:: आदेश::-**

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-बलाडा, पटवार हल्का-बलाडा, भू-अभिलेख निरीक्षक-बलाडा, तहसील-जैतारण, जिला-ब्यावर में खसरा नम्बर 681/1472 रकबा 4.2978 हैक्टेयर किस्म सेवज दोयम, खसरा नम्बर 682/1 रकबा 3.0756 हैक्टेयर किस्म सेवज दोयम भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

| क्र. सं. | नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत | खसरा नम्बर | रकबा हैक्टेयर | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | महिपाल पुत्र मोतीलाल जाति जाट सा0 देह खातेदार | 681/1 | 2.4545 | से.दो. | 2.31 |
| | रहन-आईडीबीआई बैंक लिमिटेड शाखा ब्यावर | 682/1 | 1.2322 | से.दो. | 1.16 |
| 2. | हेमा पुत्र दुदा (फौत) के कायम मुकाम शंकरलाल, मुन्नालाल पि0 हेमाराम, | 681/1472 | 1.8433 | से.दो. | 1.73 |
| | गंगादेवी पुत्री हेमाराम, सायरी देवी पत्नी हेमाराम कौम जाट सा0 देह खातेदार | 682/4 | 1.8434 | से.दो. | 1.73 |

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेखा/भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनाँक 31/01/2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

**डिक्री बमुकदमें इब्तदाई**

**(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)**

**अज अदालत :– सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः– जैतारण**

**बईजलास :– श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0**

**–:: वादी ::–** **बनाम** **–:: प्रतिवादीगण ::–**

2. महीपाल पुत्र मोतीलाल जाति जाट निवासी गांव सरमालिया तहसील ब्यावर जिला ब्यावर।

1. हेमा पुत्र दूदा के कायम मुकाम
 1/1. शंकरलाल पुत्र हेमा
 1/2. मुन्नालाल पुत्र हेमा
 1/3. गंगादेवी पुत्री हेमा
 1/4. शायरी देवी पत्नी हेमा
 जाति जाट निवासी गांव बलाडा तहसील जैतारण जिला ब्यावर।
2. राजस्थान सरकार जरिये भू–धारक तहसीलदार, जैतारण जिला ब्यावर।
3. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक जैतारण जिला ब्यावर।

मु0न0 :रा0वा0स0: 314/2019 (186/2018)

**राजस्व वाद बाबत् बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ..........–.......व हाजरी श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादी, मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि सरहद मौजा–बलाडा, पटवार हल्का–बलाडा, भू–अभिलेख निरीक्षक–बलाडा, तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर में खसरा नम्बर 681/1472 रकबा 4.2978 हैक्टेयर किस्म सेवज दोयम, खसरा नम्बर 682/1 रकबा 3.0756 हैक्टेयर किस्म सेवज दोयम भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

| क्र. सं. | नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत | खसरा नम्बर | रकबा हैक्टेयर | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | महिपाल पुत्र मोतीलाल जाति जाट सा0 देह खातेदार<br>रहन–आईडीबीआई बैंक लिमिटेड शाखा ब्यावर | 681/1 | 2.4545 | से.दो. | 2.31 |
| | | 682/1 | 1.2322 | से.दो. | 1.16 |
| 2. | हेमा पुत्र दुदा (फौत) के कायम मुकाम शंकरलाल, मुन्नालाल पि0 हेमाराम, गंगादेवी पुत्री हेमाराम, सायरी देवी पत्नी हेमाराम कौम जाट सा0 देह खातेदार | 681/1472 | 1.8433 | से.दो. | 1.73 |
| | | 682/4 | 1.8434 | से.दो. | 1.73 |

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेखा/भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक.....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 31/01/2024 को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

| मुद्धई | रूपये पैसे | मुद्धायलाह | रूपये पैसे |
|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | 6.00 | स्टाम्प वकालतनामा | 1.00 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 1.00 | स्टाम्प अर्जी | 0.00 |
| स्टाम्प वजह सबूत | 2.00 | महनताना वकील | 0.00 |
| महनताना वकील | 0.00 | खर्चा गवाहान | 0.00 |
| खर्चा गवाहान | 4.00 | फीस कमीश्नर | 0.00 |
| फीस कमीश्नर | 0.00 | बाबत ईजराय हुक्मनामा | 0.00 |
| बाबत ईजराय हुक्मनामा | 0.00 | मुत्फरिक | 0.00 |
| मिजानः– | 13.00 | मिजानः– | 1.00 |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।